

संख्या-227/सैतीस-2-2015-1(53)/02

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

श्री एस.के.दास
सलाहकार (सांख्यिकीय),
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार,
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास,
दिल्ली मिल्क स्कीम काम्पलेक्स,
शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक- 10 फरवरी, 2015

विषय:- राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में उपलब्ध केन्द्रांश के उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-1318-21/15(10)संख्या अनुभाग-2/2014-15, दि०-28.01.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत कुल ₹0-45.04 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष ₹0-21.31 लाख की धनराशि का उपभोग कर लिया गया है और ₹0-23.73 लाख (वित्तन अधिष्ठान मद में ₹0-1.33 लाख, टी.ए./डी.ए. में ₹0-18.00 लाख आई.टी.सोल्यूशन में ₹0-2.00 लाख एवं रिक्रेशर ट्रेनिंग में ₹0-2.40 लाख) की धनराशि अवशेष है।

13/02/2015
रजनीश गुप्ता

2- अतः अनुरोध है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित बजट का सदुपयोग किया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

10-2-2015

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

आज्ञा

रजनीश गुप्ता

प०सं०-227(1)/सैतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी केन्द्रांश अवमुक्त कराने हेतु बांछित प्रयास तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11/2/2015

श्री अनिल कुमार उपाय विभाग
16/2/2015

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।